समाहरणालय,बक्सर

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

प्रेस विज्ञप्ति

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर श्री जटा शंकर पाण्डेय के द्वारा बताया गया कि गरीब मुस्लिम परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं के स्वरोजगार हेतु सहायतार्थ योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत मुस्लिम परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला को **25000.00** (पच्चीस हजार) रू0 की राशि उनके स्वरोजगार सृजन हेतु एकमुश्त दिया जाता है। इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही अनुमान्य है। आवेदिका आवेदन फार्म भरकर आवेदन पत्र निबंधित डाक द्वारा या हाथो हाथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में जमा कर सकते है। आवेदिका के पास तलाकशुदा/परित्यक्ता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र का प्रपत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर या **www.bsswb.org** वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

10/10/19

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
बक्सर।

Raja 10.10.2019